/

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–69 / 2016 4238 / कृ0, पटना, दिनांक–01-11-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। **द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना "प्रति बूंद अधिक फसल" अन्तर्गत केन्दांश 2500.00 लाख (पचीस करोड़) रूपये तथा राज्यांश 1666.67 लाख (सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार) रूपये कुल 4166.67 लाख (एकतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार) रूपये की लागत से योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना "प्रति बूंद अधिक फसल" अन्तर्गत केन्दांश 2500.00 लाख (पचीस करोड़) रूपये तथा राज्यांश 1666.67 लाख (सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार) रूपये कुल 4166.67 लाख (एकतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार) रूपये की लागत से योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने पर केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि का आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। आवंटनादेश के अनुरूप ही राशि की निकासी एवं व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि अप्राप्त रहने अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि प्राप्त होने की स्थिति में योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी किया जा सकेगा।

3. दक्षिण बिहार के कुल 17 ज़िले यथा–बॉका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, पटना एवं अरवल में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। इसमें से बॉका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर कुल 8 जिलों के पुराने जलछाजन क्षेत्र, जो वर्क फेज में है, में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, पटना एवं अरवल जिलों में जलछाजन विकास योजना का डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है। इन जिलों में भी प्रस्तुत योजना से निर्माण कार्य / तालाब की सफाई का कार्य किया जायेगा। भोजपुर, भागलपुर एवं बक्सर जिलें समेकित जलछाजन विकास योजना में शामिल नहीं है, फिर भी इन जिलों में तालाब के निर्माण तथा सामुदायिक तालाब की सफाई का कार्य किया जायेगा।

4. योजना अंतर्गत 1449 जलसंचयन तालाब का निर्माण, 344 सामुदायिक तालाब के गाद की सफाई एवं मरम्मति का कार्य किया जायेगा। जिलावार कार्य योजना अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। योजनान्तर्गत जलछाजन क्षेत्र में कराये जाने वाले कार्य लाभुक समूहों के द्वारा समिति बनाकर कराया जायेगा। जलछाजन क्षेत्र के बाहर निजी भूमि पर होने वाले कार्यो के लिए योजना हेतु चिन्हित प्रखंड के कृषको से आवेदन प्राप्त कर स्थल जॉच के उपरान्त नियमानुसार योजना का चयन किया जा सकेगा। निर्मित संरचनाओं की देख–रेख निर्माण के बाद उससे जुडे संबंधित कृषक / कृषको की समिति द्वारा की जायेगी।

5. योजनान्तर्गत निजी भूमि पर होने वाले कार्य के लिए वास्तविक प्राक्कलित राशि का 90 प्रतिशत अनुदान योजना निधि से दिया जायेगा तथा 10 प्रतिशत अंशदान लाभुक कृषक के द्वारा दिया जायेगा। सामुदायिक भूमि पर परियोजना कार्य के लिए शत प्रतिशत राशि योजना निधि से प्राप्त की जायेगी।

6. उक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में भूमि संरक्षण संभाग के अधीन केन्द्रीय योजना के साथ–साथ राज्य योजना भी संचालित की जा रही है। डुप्लीकेशी की संभावना को समाप्त करने हेतु कार्यान्वयन से पूर्व डी0पी0आर0 में निम्न प्रतिवेदन शामिल किया जायेगा,

मद	कुल संरचना प्रस्तावित		अब तक पूर्ण		शेष		वर्ष 2017–18 का कार्यक्रम	
	राज्य स्कीम	केन्द्रीय स्कीम	केन्द्रीय स्कीम	राज्य स्कीम	केन्द्रीय स्कीम	राज्य स्कीम	केन्द्रीय स्कीम	राज्य स्कीम

7. कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों यथा ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई आदि के द्वारा भी मृदा एवं जल संरक्षण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम में विभिन्न एजेंसियों/विभागों द्वारा पूर्व में किये गये कार्य तथा वर्तमान में प्रस्तावित कार्यक्रमों/कार्यमदों में डुप्लीकेसी की संभावना को समाप्त करने के लिए मुख्य रुप से योजना क्षेत्र का अक्षांश–देशान्तर लिया जायेगा एवं संबंधित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी को योजना की पूर्ण सूची उपलब्ध कराई जायेगी। चयनित योजना स्थल का योजना कार्यान्वयन के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात अक्षांश देशान्तर युक्त फोटो योजना अभिलेख में संधारित करने के साथ–साथ भुवन पोंटल पर अनिवार्य रुप से अपलोड किया जायेगा ताकि चयनित स्थल एवं योजना की प्रगति को आनलाईन देखा जा सकेगा।

8. प्रत्येक योजना के कार्य स्थल पर एक सूचना पट लगाया जायेगा, जिसमें योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी योजना का नाम/योजना संख्या/ वित्तीय वर्ष/ ग्राम/पंचायत/ प्रखण्ड कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम/प्राक्कलित राशि/ योजना प्रारंभ की तिथि एवं पूर्णता की तिथि आदि अंकित होगा। प्रत्येक योजना का सूचना पट के साथ फोटो लिया जायेगा। भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित कार्य करने वाले संबंधित सभी विभाग द्वारा जिला में लिये गये योजना के विवरणी का संधारण योजना पंजी में नियमित रूप से किया जायेगा जिसमें कार्यमद, योजना का नाम, लाभान्वित का नाम, पिता का नाम, स्थल–ग्राम, प्लौट नं०, प्राक्कलित राशि, अक्षांश–देशान्तर आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा। डुप्लीकेसी की संभावना को पूर्णतः समाप्त करने की पूरी जवाबदेही जलछाजन से संबंधित स्टेट लेवल नोडल एजेंसी की होगी।

9. जीर्णोद्वार कार्य की स्थिति में कार्य आरंभ करने के पूर्व सम्बंधित विभाग/एजेंसी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना कार्य पूर्ण होने के पश्चात व्यय की गई राशि एवं कराये गये कार्यो का विवरण भी सम्बंधित विभाग को उपलबध कराने की अनिवार्यता योजना कार्यान्वयन एजेंसी की होगी।

10. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी विपत्र बी0टी0सी0 फार्म–46 में उपस्थापित किया जायेगा। उक्त राशि को अंतर विभागीय अंतरण जमा के माध्यम से बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाईटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–265 में अंतरित की जायेगी। सोसाईटी द्वारा निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना के परामर्श से संबंधित जिलों के कार्यान्वयन एजेंसी सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण को राशि उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी सूचना संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को दी जायेगी।

11. वितीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

राशि (लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0218 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, विपत्र कोड 01–2401001090218, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347,विषयशीर्ष–0218.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	6606.68	2075.00

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष– 0239 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, विपत्र कोड 01–2401007890239, पी0एफ0एम0एस0कोड–9347,विषयशीर्ष–0239.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1273.58	400.00
मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0261 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड 01–2401007960261, विषय शीर्ष–0261.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	79.60	25.00
योग	**7959.86**	**2500.00**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0318 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड 01–2401001090318, विषय शीर्ष–0318.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	6313.46	1383.33
मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0339 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड 01–2401007890339, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष– 0339. 31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1217.05	266.67
मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0361 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विपत्र कोड 01–2401007960361, विषय शीर्ष–0361.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	76.06	16.67
योग	**7606.57**	**1666.67**
सकल योग	**15566.43**	**4166.67**

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन दिनांक– 06.10.2017 को पृ0सं0–34/टि० पर प्राप्त है एंव मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक–18.10.2017 की बैठक में संचिका संख्या– पी०पी०एम०–69/2016 के पृ0सं0–38/टि० पर प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–69/2016 के पृ0सं0–40/टि0 पर दिनांक– 31.10.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1.11.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–69/2016– 4238 /कृ0, पटना दिनांक– 01–11– 2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.11.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\PMKSY-PDMC 2017-18.docx

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–69/2016– 4238 /कृ0, पटना दिनांक– 01-11- 2017

प्रतिलिपिः– उप सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.11.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–69/2016– 4238 /कृ0, पटना दिनांक– 01-11- 2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.11.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–69/2016– 4238 /कृ0, पटना दिनांक– 01-11- 2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1.11.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\PMKSY-PDMC 2017-18.docx